

**IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**  
**ORIGINAL APPLICATION NO. 196 OF 2022**

IN THE MATTER OF:

**Hariom Gupta & Ors**

**... Applicant**

**Versus**

**Nagar Palika Parishad, Loni & Ors.**

**...Respondent(s)**

**INDEX**

<b>S. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page No.</b>
1.	Index	1-2
2.	Action taken report on behalf of Nagar Palika Parishad, Loni, Uttar Pradesh alongwith affidavit.	3-
3.	<b>Annexure- 1</b> True copy of the letter dated 14.06.2023.	
4.	<b>Annexure- 2</b> The photographs of the cleaning of sewerage.	




5.	<b>Annexure- 3</b> The photographs of the regular Sanitation of surrounding.	
6.	<b>Annexure- 4</b> True copy of letter delegating duties to PWD.	
7.	<b>Annexure- 5</b> True copy of letter requesting of NOC from forest department.	



Respondent

THROUGH



**PRIYANKA SWAMI**  
Advocate

**Counsel for Nagar Palika Parishad, Loni, U.P.**

**Chamber 04, Shivalik Tower**

**Kaushambi, Ghaziabad**

**Date: .07.2023**



**IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**  
**ORIGINAL APPLICATION NO. 196 OF 2022**

IN THE MATTER OF:

**Hariom Gupta & Ors**

**... Applicant**

**Versus**

**Nagar Palika Parishad, Loni & Ors.**

**...Respondent(s)**

**ACTIONS TAKEN AND COMPLIANCE UNDERTAKEN BY THE NAGAR  
PALIKA PARISHAD, LONI**

You are requested to kindly take the following Action Taken Report on behalf of The Nagar Palika Parishad, Loni on record under ongoing matter, Original Application No. 196/2022, titled as- Hariom Gupta & Ors Versus Nagar Palika Parishad, Loni & Ors.:-

1. The Nagar Palika Parishad, Loni filed an Action Taken Report in compliance of order dated- 11.03.2022. Upon hearing of the present matter on 11.03.2022, following directions were made by the Hon'ble National Green Tribunal ("NGT").

*1. Grievance of the applicant Mr. Hariom Gupta is regarding dumping of hazardous sewerage of surrounding Nagar Palika area to the Green Belt, NH-709B, opposite Ansal State End., Sector C-1, Trans Delhi Signature City, Loni Ghaziabad. It is submitted that sewerage is filed in the Green Belt and when it over flows, it enters into Ansal State End and in temple area. It is further submitted that*



*due to poisonous water of sewerage, hundreds of large trees have died. It is also submitted that this hazardous sewerage is also entering into the underground water streams, polluting the ground water and harming the environment at large.*

*2. Having regard to the allegations of the appellant, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a Joint 2 Committee of the State PCB, District Magistrate & DFO, Ghaziabad, Uttar Pradesh. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished before the Ld. Registrar General, NGT, Principal Bench, Delhi within three months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF, who may, if necessary, put up the matter before the Bench for directions. The application is disposed of.*

*A copy of this order, along with a copy of the complaint, be forwarded to the State PCB, District Magistrate & DFO, Ghaziabad, Uttar Pradesh by e-mail for compliance.*

**The actions taken in compliance of the direction are here under :**

1. It is respectfully submitted that as per the letter dated 14.06.2023 as **Annexure I**, the grievance we received as the letter by upper district officer, we came to know about this grievance at the very said movement the inspection was carried out and regular cleaning of the said area is been done by the nagar palika parishad, but after NNPL took the extra efforts to ensure compliance.
2. It is respectfully stated that all the surrounding of sewerage area Near Lal Bagh Colony has been re clean again by the bulldozer and dumper, supporting photographs is annexed as **Annexure II**.
3. The regular cleaning and sprinkling of water is in the regular process, potholes and side drains are repaired on priority, supporting photographs is annexed as **Annexure III**, these activities are part of the daily routine to ensure public health and sanitation.
4. It is respectfully stated that the said reconstruction and repair of drainage has been allotted to Jal Nigam and the said amount has been credited in the



account of PWD who will be doing the construction work and it is to be completed in next six month post rainy seasons & the documents is annexed as **Annexure IV**.

5. It is respectfully stated that the work of reconstruction of drainage is pending because of the NOC which is requested by forest department is still awaited and the letter requesting for the NOC by Nagar Palika, Ioni is annexed as **Annexure V**, apart from this Nagar Palika is doing the daily measures to clean and protect the surrounding.

In view of the above-taken action by the department, it is to submit that the direction given in the said O.A. is being complied with and shall be maintained to avoid any unpleasant event as reported by the applicant. Further, the proposed work as per the directions of the court shall be commenced within the stipulated time on a priority basis. Until the other facility requires functional infrastructures, the department will ensure to make interim measures for the said issue.



**IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**  
**ORIGINAL APPLICATION NO. 196 OF 2022**

IN THE MATTER OF:

**Hariom Gupta & Ors**

**... Applicant**

**Versus**

**Nagar Palika Parishad, Loni & Ors.**

**...Respondent(s)**

**AFFIDAVIT**

Affidavit of Sh. Krishna Kant Mishra aged about 46 years s/o Sh. Ram Lawat Mishra, presently posted as **Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Loni, Uttar Pradesh**, having office at Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh. Presently

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying reply has been drafted by our counsel upon my instructions.



(Signature)

3. That the contents of the accompanying reply are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed there from.

*[Handwritten Signature]*

DEPONENT

**VERIFICATION**

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this 1-8 AUG 2023 day of July, 2023, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

*Adv Priyanka Swami*  
Identified by D/4476/1D

*[Handwritten Signature]*

DEPONENT



ATTESTED  
Notary Public, Delhi  
(As Presented)  
1-8 AUG 2023

# कार्यालय नगर पालिका परिषद् लोनी, जनपद-गाजियाबाद

संख्या 2654/न0पा0परि0-लो0गा0/2020-21

दिनांक: 03 अक्टूबर 2020

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (नगर),  
गाजियाबाद।

**विषय:-नगर पालिका परिषद्, लोनी क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित आर0सी0सी0 नाला निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक नगर मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के पत्र सं0-71/21-एल0वी0सी0/2020 दिनांक 30 सितम्बर 2020 (संलग्नक-01) एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-02, लो0नि0वि0, गाजियाबाद के पत्र सं0-2388/1सी/दिनांक 19 सितम्बर 2020 (संलग्नक-02) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो नगर पालिका परिषद्, लोनी क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित आर0सी0सी0 नाला निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2019 के क्रम में 25.00 लाख रुपये से अधिक धनराशि के नाला निर्माण शासनादेश सं0-3788 /नौ- 5- 2012-111 बजट/2010 दिनांक-09.10.2012 (संलग्नक-03) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सी0 एण्ड एस0, उ0प्र0 जलनिगम, गाजियाबाद को नामित किया गया था, जिसके क्रम में सी0 एण्ड एस0, उ0प्र0 जलनिगम, गाजियाबाद द्वारा कुल 05 नाला निर्माण हेतु धनराशि-669.08 लाख रुपये के आगणन प्रस्तुत किये गये थे। उक्त धनराशि के सापेक्ष निकाय द्वारा धनराशि-566.15 लाख रुपये की धनराशि दिनांक 07 फरवरी 2020 (संलग्नक-04) में सी0 एण्ड एस0, उ0प्र0 जलनिगम, गाजियाबाद को स्थानान्तरित कर दी गयी थी। तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय के पत्र सं0-2220/न0पा0परि0लो0गा0/2020-21 दिनांक 15 मई 2020 (संलग्नक-05) को उपरोक्त नालों के निर्माण कार्य हेतु पुनः संशोधित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया परन्तु सी0 एण्ड एस0, उ0प्र0 जलनिगम, गाजियाबाद द्वारा जो आगणन तैयार किये गये थे, उनका परीक्षण अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गाजियाबाद से कराया गया। परीक्षणोपरान्त अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 08 जून 2020 (संलग्नक-06) के माध्यम से अवगत कराया गया कि सी0 एण्ड एस0, उ0प्र0 जलनिगम, गाजियाबाद द्वारा जो आगणन तैयार किये गये हैं, उनकी प्रति रनिंग मीटर लागत काफी अधिक है।

उक्त के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी (नगर) महोदय, गाजियाबाद के कार्यालय ज्ञाप सं0-1353 / 21-एल0वी0सी0/2020 दिनांक 27 जुलाई 2020 (संलग्नक-07) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त नाला निर्माण सी0 एण्ड एस0, उ0प्र0 जलनिगम, गाजियाबाद के स्थान पर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गाजियाबाद से कराया जाना है।

अवगत कराना है कि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-9, लखनऊ दिनांक-21 अगस्त 2020 (संलग्नक-08) द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नागर निकायों को अंतरित एवं अवशेष धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक-31 दिसम्बर 2020 तक बढ़ायी गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते आपसे सादर अनुरोध है कि निकाय द्वारा दिनांक 04 फरवरी 2020 में परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड एस0, उ0प्र0 जलनिगम, गाजियाबाद के खाता में स्थानान्तरित की गयी धनराशि-566.15 लाख रुपये नगर पालिका परिषद, लोनी के खाता नाम-TFC-NP LONI, खाता सं0 - 4022000100423747, आई0एफ0एस0 कोड-PUNIB0402200, पंजाब नेशनल बैंक, बलरामनगर, लोनी में स्थानान्तरित करने हेतु निर्देशित करने एवं उक्त धनराशि को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गाजियाबाद को स्थानान्तरित करने हेतु आदेश देने की कृपा करें, जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नक-यथोक्त।



अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, लोनी  
गाजियाबाद

0/1

प्रतिलिपि:-

- 1- जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद, लोनी को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गाजियाबाद को इस अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्तावित आर0सी0सी0 नाला निर्माण हेतु धनराशि स्थानान्तरित करने हेतु अपने विभाग का खाता का विवरण अधोहस्तक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड एस0, उ0प्र0 जलनिगम, गाजियाबाद से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त उक्त धनराशि आपके विभाग के खाता में स्थानान्तरित की जा सकें।

6/10/20



अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, लोनी  
गाजियाबाद

0/1



6/10/20

कार्यालय

जिलाधिकारी

गाजियाबाद ।

पत्रांक 71 / 21-एल0बी0सी0 / 2020

दिनांक: 30/09/2020

अधिकाारी,   
नगर पालिका परिषद, लोनी ।

विषय:—नगर पालिका परिषद लोनी क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित आर0सी0सी0 नाला निर्माण के सम्बंध मे।

उपर्युक्त विषयक का सन्दर्भ लें, इस सम्बंध में अधिकाारी अभियन्ता, निर्माण खंड-2, लोनी0वि0, गाजियाबाद द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 2338/1 सी0 दिनांक 19.09.2020 के द्वारा 05 नाले का आंगणन दो प्रतियों में प्रस्तुत किया गया है जो इस कार्यालय में 30.09.2020 को प्राप्त हुआ है । उक्त आंगणन को मूल रूप में सलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ भेजा जा रहा है कि उक्त के सम्बंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।  
सलग्नक: यथोक्त ।

(विपिन कुमार)  
नगर मजिस्ट्रेट,  
गाजियाबाद ।

Bm

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गाजियाबाद

41

पत्रांक 2338/1सी/

दिनांक:- 19-09-20

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (नगर)  
गाजियाबाद।

विषय :- नगर पालिका परिषद लोनी क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित आर0सी0री0 नाला निर्माण कार्य के आगणन सम्बन्धित।

संदर्भ-कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद का कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 1353/21-एल0वी0सी0/2020 दिनांक 29.07.2020

महोदय,

संदर्भित आदेशों के अनुपालन में विषयक कार्यों के आगणन वर्तमान में लो0नि0वि0 दर सूची एवं भित्तिवारी अधिकल्पना के आधार पर गठित कर निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्रस्तावित लम्बाई (किमी0)	आगणन की लागत
1	वार्ड न0-38 (निकट ताल बाग गण्डी), दाभी गाजियाबाद में विभिन्न स्थानों पर आर0सी0री0 नाला निर्माण का कार्य।	1.27	179.49
2	बंभव जनरल स्टोर (निकट आनन्द विहार) में आर0सी0री0 नाला निर्माण का कार्य।	0.69	60.61
3	वार्ड न0-11, विकास नगर लोनी में आर0सी0री0 नाला निर्माण का कार्य।	0.515	70.15
4	राजनगर स्थित तोमर मेडिकल स्टोर से लोनी होते हुए जवैत मेडिकल स्टोर में आर0सी0री0 नाला निर्माण का कार्य।	0.945	131.67
5	नगर पालिका लोनी में दिल्ली गाजियाबाद मार्ग पर मार्ग पर दोनों ओर आर0सी0री0 नाला निर्माण का कार्य।	1.38	187.07
		कुल लागत	628.99

उक्तानुसार आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अधिकारी नगर पालिका लोनी को निर्देशित करने की कृपा करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार 5 आगणन दो-दो प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0,  
गाजियाबाद

पत्रांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लोनी।
3. सहायक अभियन्ता पंचम निर्माण खण्ड-2 लो0नि0वि0 गाजियाबाद।

2541/ST.A.D.M.CITY

OC(LB)/LBC

दिनांक:-

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0,  
गाजियाबाद

अपर जिलाधिकारी (नगर)  
गाजियाबाद

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) लखनऊ।
- 3- नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ०प्र०।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 6- महाप्रबन्धक, समस्त जलकल विभाग, नगर निगम, उ०प्र०/ जल संस्थान, झाँसी, विद्युत्कृद्घाम मण्डल, कर्वा-वांदा।
- 7- अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: ०१ अक्टूबर, 2012

विषय: नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से संबंधित कार्यों को स्थानीय नगर निकायों तथा सी.एण्ड डी.एस., उ०प्र० जल निगम के माध्यम से कराये जाने हेतु मानक का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1981/नौ-05-2005-70सा/04 दिनांक 20 जून, 2005 तथा शासनादेश संख्या-7092/नौ-5-2010-111वजट/2010, दिनांक 04.11.2010 के क्रम में शासनादेश संख्या-1341/नौ-5-2012-111वजट/2010, दिनांक 30.05.2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ₹ 5.00 लाख तक के ड्रेनेज के कार्य संबंधित स्थानीय नगर निकायों द्वारा तथा ₹ 5.00 लाख से अधिक लागत के ड्रेनेज संबंधित कार्य सी. एण्ड डी.एस., उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सन्दर्भित शासनादेश संख्या-1341/नौ-5-2012 दिनांक 30.05.2012 में सम्यक् विचारोपरान्त संशोधन करते हुए नगर विकास विभाग के अन्तर्गत कराये जाने वाले ड्रेनेज से संबंधित कार्यों के सन्दर्भ में निम्नवत् मानक निर्धारित किया गया है-

- (क) नगर निगम- नगर निगमों द्वारा ₹ 50.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराए जायेंगे तथा इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधी कार्य सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।
- (ख) नगर पालिका परिषद्- नगर पालिका परिषद् द्वारा ₹ 25.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जायेंगे तथा इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधी कार्य सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।
- (ग) नगर पंचायत- नगर पंचायतों द्वारा ₹ 5.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जायेंगे तथा इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधी कार्य सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

3- ड्रेनेज संबंधित कार्यों के संबंध में उपर्युक्त व्यवस्था निर्माणाधीन कार्यों/परियोजनाओं के सन्दर्भ में प्रभावी नहीं होगी तथा इसे तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। पेयजल तथा सीवेज से संबंधित कार्यों के संबंध में शासनादेश संख्या-1981/नौ-5-2005-70सा/04 दिनांक 20.06.2005 में दी गई व्यवस्था यथावत् रहेगी।

भवदीय,

( प्रवीर कुमार )  
प्रमुख सचिव।



To confirm having received the captioned advice of credit(s) for payment today for further processing as per arrangement of bank in integrated PFMS-Bank payment system.

No. Of Beneficiaries : 1

Date & Time :

Amount (In Rs.) : 5,66,15,933.00

PUNJAB NATIONAL BANK

Branch Suai

Branch Authorized Official

Agency to enter date of delivery in PFMS using option | E-Payment => PPA Submission Status

**ANNEXURE-I**

(All page to be stamped and initial and last page to be signed in FULL with stamp)

Payment Advice No.: CO1204111753R

Sr.No.	Name of Beneficiary	PFMS Txn ID	Account Number	IFSC/IN/MICR Code	Aadhaar Number	Amount(In. Rs.)
1	DIRECTOR C & D SUPRIAL NIGAM	CO12041117559	XXXXXXXXXX8703	PUNB0087400		5,66,15,933.00
Total Amount(Rs)						5,66,15,933.00

Please acknowledge and do the needful as prescribed by bank to complete transactions.

PFMS




# FI Finacle

Universal Banking Solution from Infosys

Account Ledger Inquiry

24 February 2020 | View 754231499 | 402200 | Month Shortcut

Y: Show Month End | Background Menu | Last Background | COT Generated



Acct ID	40220001036433747 INR 402200 TIC - NP Loan	Acct Status Date	02-04-2016
Ac. Status	ACTIVE	Ac. Close Date	CUSTOMER ACCOUNT
GL Subhead	05100	Ac. Type	INR
Opening Bal.	41,78,91,253.34 CR	Available Amt.	36,12,75,320.34 CR
Closing Bal.	INR	Effective Available Amt.	36,12,75,320.34 CR
Funds in Ctr.	INR	Frost Bal.	0.00 CR

Tran. Date	Value Date	Instr. No.	Particulate	CCY	Debit Amt	Credit Amt	Bal.
07-02-2020	07-02-2020		TTR/R/C012341117538 UP/GZ00006524MFC	INR	5,66,15,933.00		36,12,75,320.34 CR
07-02-2020	07-02-2020		TTR/R/C01204951894 UP/CZ00006524MFC	INR	32,32,792.00		41,78,91,253.34 CR
08-02-2020	08-02-2020		NEFL CHAUDHARY CONSTRUCTION COMPANY	INR		32,32,792.00	42,11,24,045.34 CR

OK

## कार्यालय-ज्ञाप

नगर पालिका परिषद, लोनी क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित आर०सी०सी० नाला निर्माण का कार्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी द्वारा परियोजना प्रबन्धक, सी० एंड डी०एस०, जलनिगम, गाजियाबाद को सौंपा गया था। उक्त निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत आंकलन को लो०नि०वि० गाजियाबाद से परीक्षण कराये जाने पर आंकलन अधिक होने के कारण पुनः परीक्षण किये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका लोनी द्वारा लिखे जाने पर, परियोजना प्रबन्धक, सी० एंड डी०एस०, जलनिगम, गाजियाबाद ने प्रश्नगत कार्य हेतु गठित प्राक्कलन ड्राइंग एवं डिजाइन के आधार पर आंगणित किये जाने, पुनः पुनरीक्षित करना सम्भव नहीं होने का उल्लेख करने तथा माप एवं लागत लो०नि०वि० द्वारा अधिक बताये जाने के कारण, जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 23.07.2020 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित आर०सी०सी० नाला निर्माण का कार्य परियोजना प्रबन्धक, सी० एंड डी०एस०, उ०प्र० जलनिगम गाजियाबाद के स्थान पर अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, निर्माण खंड-2, गाजियाबाद से कराये जाने सम्बंधी निर्देश पारित किये गये हैं।

अतः जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 23.07.2020 के अनुपालन में परियोजना प्रबन्धक, सी० एंड डी०एस०, उ०प्र० जलनिगम गाजियाबाद, एवं अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, निर्माण खंड-2, गाजियाबाद तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी समन्वय बनाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कराये।

अपर जिलाधिकारी(नगर)  
गाजियाबाद।

कार्यालय

जिलाधिकारी

गाजियाबाद।

पत्रांक: 1353 /21-एल०बी०सी०/2020



दिनांक 27/07/2020

प्रतिलिपि :-

- 1- जिलाधिकारी गाजियाबाद महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2- परियोजना प्रबन्धक, सी० एंड डी०एस०, उ०प्र० जलनिगम गाजियाबाद को उनके पत्र सं० 1011/कार्य-20/26 दिनांक 23.07.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, निर्माण खंड-2, गाजियाबाद को उनके कार्यालय पत्र सं० 311/02 कैम्प दिनांक 08.06.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी को उनके कार्यालय पत्र सं० 2341/न०पा०परि०लो०गा०/2020 दिनांक 08.06.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं नाला निर्माण के नवप्रस्ताव पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी(नगर)  
गाजियाबाद।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम०ए० संख्या-38/2023 in ओ०ए० संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs Nagar Palika Parishad, Loni & Ors व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.05.2023 के अनुपालन



*Bm*

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम०ए० संख्या-38/2023 in ओ०ए०  
संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs Nagar Palika Parishad, Loni & Ors व अन्य में पारित आदेश  
दिनांक 25.05.2023 के अनुपालन



*Handwritten signature*